

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 16.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
378	परि.ता.प्र.सं. 15 (क्र. 982) दि. 16.03.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा-डुल्हार सड़क मार्ग निर्माण हेतु पर्यावरण विभाग से अनुमति ली जाना एवं समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर अनुबंध अनुसार निर्माण एजेंसी से पेनाल्टी वसूली की जाना।	(1) अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) अनुबंध के निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी।		
379	परि.ता.प्र.सं. 31 (क्र. 2122) दि. 16.03.2015 (पं. रमाकान्त तिवारी)	रीवा जिले के मनगवां से चकघाट फोरलेन मार्ग का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाना।	कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करना संभावित है।		
380	परि.ता.प्र.सं. 70 (क्र. 3182) दि. 16.03.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले के सबलगढ़ रोड़ पर सिकरौदा एवं नेपरी पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	(1) सिकरौदा पुल का कार्य प्रगति पर है। (2) भू-अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न होते ही कार्य प्रारंभ हो जायेगा।		
381	परि.ता.प्र.सं. 90 (क्र. 3494) दि. 16.03.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले की क्वारी नदी पर फूप-उमरी के बीच निर्मित पुल वर्ष 2014 में ढहने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) पुल के ढहने के संबंध में विस्तृत जांच प्रक्रियाधीन है। (2) पुल के गिरने में डिजाईन एवं अन्य कारणों के संबंध में जांच प्रक्रियाधीन है। (3) जांच पूर्ण होने पर क्षति का आंकलन हो सकेगा। जांच निष्कर्ष उपरांत संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना संभव होगा।		
382	परि.ता.प्र.सं. 107 (क्र. 3873) दि. 16.03.2015 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	हरदा जिले के ग्राम गुल्लास से हण्डिया ब्हाया, नादरा, आदमपुर जुगलिया अपूर्ण मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु रिस्क एण्ड कास्ट पर निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 16.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
383	परि.ता.प्र.सं. 108 (क्र. 3874) दि. 16.03.2015 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	हरदा जिले अन्तर्गत ग्राम मसलगांव से हण्डिया, डुमलाय अपूर्ण मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	रिस्क एण्ड कास्ट पर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन ।		
384	परि.ता.प्र.सं. 129 (क्र. 4339) दि. 16.03.2015 (श्री विजयपाल सिंह)	जिला होशंगाबाद अंतर्गत कुवजा नदी के क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण कार्य कराया जाना ।	पुल निर्माण का प्रस्ताव परीक्षाधीन है ।		
385	परि.ता.प्र.सं. 148 (क्र. 4609) दि. 16.03.2015 (श्री संदीप प्रसाद जायसवाल)	नवनिर्मित कटनी जिला न्यायालय भवन का निर्माण कार्य स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व कार्य कराये जाने की जांच एवं दोषी विरुद्ध कार्यवाही ।	संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
386	अता.प्र.सं. 108 (क्र. 4478) दि. 16.03.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाना ।	केवल सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
387	अता.प्र.सं. 136 (क्र. 4858) दि. 16.03.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	जिला उज्जैन के महिदपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत झारंडा से गेलाखेड़ी नगपुरा एवं घटिया से मकलाफंटा मार्ग का निर्माण कार्य सिंहस्थ मद से शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	प्रश्नाधीन दोनों मार्गों के डी.पी.आर. तैयार होकर परीक्षाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक 16.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
388	परि.ता.प्र.सं. 16 (क्र. 1017) दि. 16.03.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले की नवगठित नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग में नगरपालिका अधिकारी की पदस्थापना किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
389	परि.ता.प्र.सं. 27 (क्र. 2022) दि. 16.03.2015 (श्री पन्नालाल शाक्य)	वर्ष 2004-05 में गुना नगर पालिका क्षेत्र में शुष्क शौचालय का जलवाही शौचालय में परिवर्तन किये जाने में की गई आर्थिक अनियमितता की जांच एवं राशि की वसूली किया जाना।	राशि रूपये 10.51 लाख की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।		
390	परि.ता.प्र.सं. 35 (क्र. 2348) दि. 16.03.2015 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर नगर में नवीन मास्टर प्लान लागू किया जाना।	विकास योजना धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।		
391	परि.ता.प्र.सं. 58 (क्र. 3006) दि. 16.03.2015 (श्री चेतन्य कुमार काश्यप)	रतलाम में वातानुकूलित ऑडिटोरियम के लिये भूमि आरक्षित किया जाना।	भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
392	परि.ता.प्र.सं. 85 (क्र. 3436) दि. 16.03.2015 (श्री गिरीश भंडारी)	नरसिंहगढ़ नगर पालिका द्वारा बस स्टैण्ड पर सीमेंट कांक्रीट कार्य नियम विरुद्ध करने वाले दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण में जांच करायी जा रही है। जांच निष्कर्षों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।		
393	परि.ता.प्र.सं. 86 (क्र. 3443) दि. 16.03.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुर्ना जिले की सबलगढ़ नगर पालिका अंतर्गत उत्कृष्ट रोड के वर्क ऑर्डर जारी किया जाना एवं पार्क का निर्माण किया जाना।	(1) जी हां। वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, वित्तीय स्वीकृति पश्चात कार्यादेश दिया जायेगा। (2) पार्क निर्माण कार्य दिनांक 30 जून, 2015 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक 16.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
394	परि.ता.प्र.सं. 114 (क्र. 4050) दि. 16.03.2015 (श्री दिलीप सिंह परिहार)	नगर पालिका परिषद, नीमच में कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार की गई परियोजना के तहत कार्य प्रारंभ किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		
395	परि.ता.प्र.सं. 134 (क्र. 4402) दि. 16.03.2015 (श्री जितू पटवारी)	इंदौर स्थित विशालकाय ट्रेचिंग ग्राउण्ड को शहरी सीमा क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2000 के अनुसार भूमि उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		
396	परि.ता.प्र.सं. 136 (क्र. 4420) दि. 16.03.2015 (श्री जतन उईके)	छिन्दवाड़ा जिले के पांडुर्णा शहर के पेयजल आपूर्ति हेतु परसोड़ी जलाशय से पानी उपलब्ध कराये जाने बाबत।	स्थल के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
397	अता.प्र.सं. 06 (क्र. 1124) दि. 16.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	भोपाल जिले में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो संरचना विकास मण्डल द्वारा वाल्मिकी अंबेडकर योजना के तहत निर्मित शेष भवनों को नियमानुसार आवंटन किया जाना।	आवंटन हेतु परियोजना के निर्देशों के अनुसार आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।		
398	अता.प्र.सं. 62 (क्र. 3340) दि. 16.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	कटनी जिले में नगर निगम सीमा के अंदर पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत बगैर सहमति के संचालित लाल ईट भट्टों के संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	कलेक्टर, कटनी (खनिज) द्वारा खनिज साधन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-1/2013/12/1 (पार्ट), दिनांक 10.04.2013 अनुसार कार्यवाही की जा रही है।		
399	अता.प्र.सं. 127 (क्र. 4809) दि. 16.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की नगर परिषद् लहार, मिहोना, दबोह के अध्यक्ष एवं अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में कार्यवाही की जाना एवं उप यंत्री की नियुक्ति की जाना।	(1) प्रकरण में प्राप्त शिकायत पर गठित समिति द्वारा जांच की जा रही है। जांच उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (2) उपयंत्री के नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

वन विभाग

दिनांक 16.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
400	परि.ता.प्र.सं. 47 (क्र. 2648) दि. 16.03.2015 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	खरगौन जिले की भगवानपुरा विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत वन समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत पुनर्गठन किया जाना ।	पुनर्गठन की कार्यवाही प्रचलित है ।		
401	परि.ता.प्र.सं. 145 (क्र. 4602) दि. 16.03.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	(1) वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत शर्त क्रमांक 07 का कम्पनी द्वारा उल्लंघन किये जाने पर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना । (2) सतना जिले की तहसील मैहर में स्थित रिलायंस सीमेंट कंपनी द्वारा वन भूमि पर किये अवैध अतिक्रमण की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । (2) प्रकरण की विवेचना जारी है । विवेचना उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।		
402	परि.ता.प्र.सं. 82 (क्र. 3335) दि. 16.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत पन्ना जिले में वन क्षेत्रों में स्टॉप डेम तथा तालाब निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	वन क्षेत्रपाल श्री एस.एस. पटेल के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

दिनांक 16.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
403	परि.ता.प्र.सं. 73 (क्र. 3230) दि. 16.03.2015 (श्री गोपाल परमार)	आगर जिले में शासकीय मंदिरों की जमीन से अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने बाबत् ।	कब्जा हटाने की कार्यवाही की जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग

दिनांक 16.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
404	अता.प्र.सं. 86 (क्र. 3884) दि. 16.03.2015 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	सेडमेप के कार्यकारी संचालक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जी हाँ। जाँच प्रक्रियाधीन है।		